(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/स्टाम्प अधिनियम /2017/3361. विरूद्ध आदेश दिनांक 12-04-2017 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 17/बी-103/2014-15/धारा 48ख

1-आकृति सुगर मील प्रा0लि0
एफ-11, सृष्टि काम्लेक्स जोन-1
भोपाल म0प्र0
2-मॉ भगवती सुगर मील लि0
एफ-11, सृष्टि काम्लेक्स जोन-1
भोपाल म0प्र0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
एवं डायरेक्टर सुनील कुमार सोनी आत्मज स्व0श्री वीपी सोनी .....आवेदकगण

विरूद्ध

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री विपिन सक्सैना, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-4-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा पिटीशन कम्पनी एक्ट 1956की धारा 394 में स्कीम ऑफ अमलगमेशन से अंतरणकर्ता कंपनीके 99 प्रतिशत शेयर अंतरण ग्रहिता कंपनी के पक्ष में अंतरित किये जा रहे हैं जिसमें अंतरणकर्ता कंपनी के 10,000/- शेयर जिनका मूल्य 100 प्रति शेयर इस प्रकार कुल शेयर का मूल्य 10,00,000/- रूपये है जिसके हक में शेयर अंतरित हो रहे हैं, उस कंपनी के शेयर 1,20,00,000/- है, जिनका इक्विटी शेयर मूल्य 10/- रूपये प्रति शेयर है । इस प्रकार कुल शेयर मूल्य 12,00,00,000/-

रूपये होता है । साथ ही अमलगमेशन स्कीम के पैरा - 5.1 में अंतरित कंपनी की चालू हालत में शुगर कम्पनी स्थान ग्राम तुमडा तहसील गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर को अंतरिती कंपनी को की गई है । अंतरित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अमलगमेशन स्कीम के साथ दिनांक 23-4-2014 की बैंलेस शीट अनुसार अंतरित कंपनी की समस्त आस्तियॉ को मूल्य 11,22,78,000/- होता है । जिस पर 5 प्रतिशत की दर से 56,13,900/- रूपये मुद्रांक शुल्क देय है एवं लिखत पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 40(ख) के तहत देय मुद्रांक शुल्क का 01 प्रतिशत शास्ति रूपये 56,130/- इस प्रकार कुल राशि 56,70,039/- शासकीय कोष में जमा करने कें दिनांक 12-4-2017 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश दिये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1)कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भोपाल द्वारा अनुसूची 1(क) में विहित प्रावधानों के बाहर जाकर मनमाने तरीके से शुल्क की गणना की गई है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 22(क) के अन्तर्गत गणना दो तरह से की जाती है।

(ए) मध्यप्रदेशमें स्थिर स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर 05 प्रतिशत दर से शुल्क रूपये 15,34,450/-

या

(बी) शेयरों के मूल्य रूपये 1,25,00,000/- का 0.5 प्रतिशत की दर से रूपये 6,250/- शुल्क देयक होगा ।

(2)कलेक्टर ऑफ स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 22(क) के उपरोक्तप्रावधान अनुसार कंपनियों के समामेलन में बाजार मूल्य की गणना निम्नानुसार की जाती है :-

(ए) उस अंतरित स्थावर संपत्ति जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत ।

या

(बी) ऐसे अंतरण के विनिमय में अन्यथा जारी या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिये संदत्त प्रतिफल की रकम के योग का 0.5 प्रतिशत शुल्क इनमें से जो भी अधिक हो ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाजार मूल्य की गणना में त्रुटि की गई है क्योंकि उनके द्वारा मध्यप्रदेश में स्थित अंतरित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के साथ साथ अन्य चल संपत्तियों एवं आस्तियों के मूल्य को भी जोड दिया गया है जबकि अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार अचल संपत्ति एवं अन्य आस्तियों के मूल्य की पृथक पृथक गणना की जानी है तथा दोनों मूल्य में जो उच्चतर शुल्क हो वह देय होगा ।

(4) मर्जर की प्रक्रिया होल्डिग एंड सबसिडियरी के तहत हुई है, जिसमें मॉ भगवती शुगर मिल लि0 ने 99 प्रतिशत शेयर पहले से ही ले रखे हैं इसलियेस्टाम्प ड्यूटीका प्रश्न ही नहीं उठता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकबाजार मूल्य की गणना कर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-8-14 के अंतर्गत आवेदक क्रमांक 1 आकृति सुगर मील प्रा0लि0 का आवेदक क्रमांक 2 मॉ भगवती सुगर मील लि0 में संविलियन हुआ है । अंतरित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अमलगमेशन स्कीम के साथ दिनांक 23-4-14 की बैंलेस शीट प्रस्तुत क गई । इस बैंलेस शीट में कंपनी की संपूर्ण चल/अचल संपत्ति का विवरण के साथ परिसमापक के समक्ष जबाव प्रस्तुत किया । अंतरित कम्पनी की समस्त आस्तियॉ का मूल्य 11,22,78,000/- निर्धारित किया गया । जिस पर 5 प्रतिशत की दर से 56,13,900/- रूपये मुद्रांक शुल्क देय है एवं एक प्रतिशत शास्ति रूपये 56,130/- कुल रूपये 56,70,039 शासकीय कोष में जमा करने के आदेश देने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है जो वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-4-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर